

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08042022-234998 CG-DL-E-08042022-234998

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

**ぜ. 1638]** No. 1638] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 8, 2022/चैत्र 18, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 8, 2022/CHAITRA 18, 1944

## संस्कृति मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 अप्रैल, 2022

का.आ. 1721(अ).—केन्द्र सरकार, लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 (1993 का 69) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित व्यक्तियों को अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए अभिलेखीय सलाहकार बोर्ड के सदस्य के रूप में मनोनीत करती है और इस प्रयोजन के लिए भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय की दिनांक 17 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना सं. का.आ. 3862(अ) में संशोधन करती है:-

- 1. लोक अभिलेख अधिनियम,1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (i) के अधीन पदेन अध्यक्ष :
  - (i) सचिव, संस्कृति मंत्रालय
- 2. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (ii) के अधीन पदेन सदस्य :
  - (i) संयुक्त सचिव

मंत्रिमंडल सचिवालय

(ii) संयुक्त सचिव

गृह मंत्रालय

(iii) संयुक्त सचिव

रक्षा मंत्रालय

(iv) संयुक्त सचिव

विदेश मंत्रालय

(v) संयुक्त सचिव

वित्त मंत्रालय

(vi) संयुक्त सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

2537 GI/2022

(1)

- 3. लोक अभिलेख अधिनियम,1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (iii) के अधीन पदेन सदस्य :
  - (i) सचिव

पुद्चेरी सरकार

(ii) सचिव

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़

- 4. लोक अभिलेख अधिनियम,1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (iv) के अधीन प्रोफेसर, इतिहासकार तथा अभिलेखाधिकारी:
  - (i) प्रो. हीरामन तिवारी, एसोसिएट डीन, स्कूल ऑफ सोशल साइंस, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली-110067
  - (ii) प्रो. सुगम आनंद,40-41, सेक्टर-1, बिभव नगर,आगरा, 282001 (उत्तर प्रदेश)
  - (iii) प्रो. वी. किशन राव, पावनी अपार्टमेंट्स, अपार्टमेंट नं. 302, 3-6-183, गली नं. 17, हिमायत नगर, हैदराबाद 500029, तेलंगाना राज्य
- 5. लोक अभिलेख अधिनियम, 1993 की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (v) के अधीन पदेन सदस्य सचिव:
  - (i) महानिदेशक, अभिलेखागार

सभी सदस्य अभिलेखीय सलाहकार बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए केन्द्र सरकार के समूह 'क' अधिकारियों को स्वीकार्य दर से यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता पाने के हकदार हैं।

> [फा. सं. 18-4/2022-ए एण्ड ए] संजुक्ता मुदगल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CULTURE NOTIFICATION

New Delhi, the 8th April, 2022

- S.O. 1721(E).—In exercise of the power conferred by Sub-Section (1) of Section 13 of the Public Records Act, 1993 (No. 69 of 1993) the Central Government hereby nominates the following persons as members of the Archival Advisory Board for a period of three years from the date of notification and for the purpose, amends the Government of India, Ministry of Culture notification No. S.O. 3862(E), dated the 11th December, 2017.
- 1. Ex-officio Chairman under clause (i) of sub-section (2) of section 13 of Public Records Act, 1993:-
  - (i) Secretary, Ministry of Culture.
- 2. Ex-officio members under clause (ii) of sub-section (2) of section 13 of Public Records Act, 1993:-
  - (i) Joint Secretary Cabinet Secretariat
     (ii) Joint Secretary Ministry of Home Affairs
     (iii) Joint Secretary Ministry of Defence
     (iv) Joint Secretary Ministry of External Affairs

- (v) Joint Secretary
- Ministry of Finance
- (vi) Joint Secretary
- Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
- 3. Ex-officio members under clause (iii) of sub-section (2) of section 13 of Public Records Act, 1993:-
  - (i) Secretary

Government of Puducherry

(ii) Secretary

UT of Chandigarh

- 4. Professors, Historians and Archivist under clause (iv) of sub-section (2) of section 13 of Public Records Act, 1993:-
  - (i) Prof. Heeraman Tiwari,Associate Dean, School of Social Sciences,Jawahar Lal Nehru University,New Delhi 110067
  - (ii) Prof. Sugam Anand,40-41, Sector-1, Bibhav Nagar,Agra, 282001 (U.P.)
  - (iii) Prof. V. Kishan Rao, Pavani Apartments, Apt # 302, 3-6-183, Street #17, Himayatnagar, Hyderabad-500029, Telangana State.
- 5. Ex-officio Member Secretary under Clause (v) of sub-section (2) of Section 13 of Public Records Act, 1993:-
  - (i) Director General of Archives

All Members are entitled to draw travelling allowances and daily allowances for attending the meetings of the Archival Advisory Board at the rates admissible to Group 'A' Officers of the Central Government.

[F. No. 18-4/2022-A&A]

SANJUKTA MUDGAL, Jt. Secy.